केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 267 बुधवार 22 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

सिलाई मशीन लोन में 67,600 की धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक युवती ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए, लिए गए लोन की रकम में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि उसके लोन के 67,600 रुपये हड़प लिए गए हैं।

दुबौला गांव निवासी कामनी शुक्ला ने बताया कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती से 2,12,500 रुपये का ऋण लिया था। यह राशि कंपनीबाग स्थित प्रभा इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर सिलाई मशीन खरीदने के लिए भेजी गई थी। कामनी का आरोप है कि दुकान के संचालक ने उनकी अनुमति के बिना 1,97,600 रुपये अपने कर्मचारी प्रेमचंद पुत्र हरिभजन को दे दिए। कामनी शुक्ला के अनुसार, उन्हें इस लेन–देन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब उन्हें मोबाइल संदेश के माध्यम से इसका पता चला, तो उन्होंने इसका विरोध किया। बाद में एक समझौते के तहत 1,30,000 रुपये वापस कर दिए गए, लेकिन शेष 67,600 रुपये अभी तक नहीं मिले हैं। इस संबंध में कप्तानगंज थाने में प्रेमचंद और प्रभा इलेक्ट्रॉनिक के अज्ञात संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।

चोरी के माल समेत 2 गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हरैया थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के 1 लाख 57 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई हरैया पुलिस और एंटी थेफ्ट सेल की संयुक्त टीम ने की है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम भदावल कला निवासी एक व्यक्ति अपने नए मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम के लिए परिवार सहित बस्ती शहर गए थे। इसी दौरान 16 अप्रैल को उनके भदावल स्थित घर में चोरी हो गई। पीड़ित की शिकायत पर हरैया थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

जांच के दौरान, पुलिस टीम ने तकनीकी और स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान भदावल कला निवासी अंकित सिंह (26) पुत्र रामाज्ञा सिंह और अमित शर्मा (20) पुत्र स्व. दाऊ शर्मा के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने 16 अप्रैल की चोरी के साथ–साथ 17 मार्च को हरैया कस्बे में एक अन्य बंद मकान में हुई चोरी की घटना को भी स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 1 लाख 57 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ पहले से भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की विस्तृत जांच कर रही है।

इस पूरे मामले में प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

गर्मी बढ़ी, बेहाल हुये लोग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती में गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मंगलवार को सुबह 22 डिग्री से तापमान बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो दोपहर तक 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। स्कूलों के समय में बदलाव की मांग बढ़ रही है, खासकर बच्चों के लिए। सुबह और शाम को राहत मिल रही है, लेकिन दिन में गर्मी से मुश्किलें बढ़ गई हैं।

ट्रंप– ईरान अड़े: फिर युद्ध की आहट

वाशिंगटन/ तेहरान (आभा)। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव, इजराइल की सैन्य गतिविधियों और होरमुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर बढ़ती खींचतान ने हालात को और जटिल बना दिया है। ताजा घटनाक्रम संकेत देता है कि कूटनीतिक प्रयास फिलहाल ठहराव की स्थिति में हैं और संघर्ष का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि ईरान–इजराइल और अमेरिका के बीच हुआ संघर्षविराम खत्म होने को है और शांति वार्ता को लेकर संशय के बादल छंट नहीं रहे हैं। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता संभव नहीं है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य मोहम्मद रजा मोहसेनी सानी ने कहा कि अमेरिका की अत्यधिक मांगें और उसके आंतरिक राजनीतिक उद्देश्यों के कारण बातचीत का कोई आधार नहीं बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि हालिया घटनाओं और पिछले अनुभवों को देखते हुए निकट भविष्य में वार्ता का कोई दौर नहीं होगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह भी संकेत मिला है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संभावित युद्धविराम वार्ता हो सकती है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार अभी तक कोई प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि अंदरूनी स्तर पर भी सहमति नहीं बन पाई है। वहीं अमेरिका से इस प्रकार की भी खबरें थीं कि अगर शांति वार्ता आगे बढ़ती है और समझौते की स्थिति बनती है तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं या शांति वार्ता में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। लेकिन ट्रंप जिस तरह कभी ईरान पर बम बरसाने और कभी शांति वार्ता की बात कर रहे हैं उससे पूरी स्थिति को लेकर संशय बना हुआ है।

दुष्कर्म, गर्भपात कराने के बाद शादी और मारपीट के मामले में एसपी से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को गौर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म, गर्भपात कराने और मंदिर में विवाह के बाद घर से निकाल दिये जाने के मामले में पीड़िता और उसके पिता ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और अपने बेटी के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

निषाद पार्टी संगठन के जिलाध्यक्ष संदीप निषाद ने कहा कि पीड़िता की स्थिति दयनीय है। स्थानीय गौर थाने पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। न्याय न मिला तो मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जायेगा।

पत्र में पीड़िता ने कहा है कि गौर थाना क्षेत्र अइलाकला गांव के ही किशन पुत्र केशवराम से उससे जबरिया दुष्कर्म कर सम्बन्ध बनाया। पुलिस के दबाव में बेउवा समय माता मंदिर पर विवाह हुआ किन्तु अब किसन और उसके पिता केशवराम, भाई जनकराम व भाभियां उर्मिला व गुडिया आदि ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुये घर से भगा दिया। पीड़िता और परिजनों ने इस सम्बन्ध मे गौर पुलिस द्वारा न्याय न मिलने पर पुलिस अधिक्षक को पत्र देकर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई और अपने जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

डीसीएम से टकराकर बोलेरो बनी आग का गोला, दो झुलसे: पांच यात्रियों की बची जान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात करीब 12.30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बस्ती–गोरखपुर मार्ग पर परसा हज्जाम के पास भारद्वाज पेट्रोल पंप के निकट तेज रफ्तार बोलेरो आगे चल रही डीसीएम से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो में तुरंत आग लग गई और वह देखते ही देखते आग का गोला बन गई।

हादसे के वक्त बोलेरो में कुल सात लोग सवार थे। आग की लपटें उठती देख मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और तत्काल पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मुंडेरवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान ड्राइवर समेत दो लोग झुलस गए, जबकि पांच अन्य यात्री सुरक्षित बच निकले। संतकबीरनगर के रहने वाले लोग बस्ती में शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।

सूचना मिलने पर खझीला पुलिस चौकी इंचार्ज राकेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना के करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बोलेरो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। घायलों में गंगाराम पुत्र राजाराम जिला अस्पताल बस्ती में भर्ती हैं। विनय पुत्र राजबहादुर और मनोज पुत्र रामनाथ को उपचार के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। वहीं मोहम्मद यूसुफ पुत्र मोहम्मद मुस्तफा को खलीलाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद यूसुफ करीब 25 प्रतिशत झुलस गए हैं। वहीं प्रदीप चौरसिया (उमिला कांटे), राजेश (दीघा) और अश्वनी (खलीलाबाद), थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर निवासी को हल्की चोटें आई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया।

पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका,13 की मौत

त्रिशूर (आभा)। केरल के त्रिशूर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण विस्फोट हुआ। इस घटना की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय शेड में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मुण्डाथिकोड इलाके में यह दुर्घटना उस समय हुई जब आगामी त्रिशूर पूरम के लिए एक मंदिर देवस्वम की ओर से पटाखे तैयार किए जा रहे थे। घायलों को तुरंत पास के

अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से शव बरामद किए गए, जबकि अन्य के शरीर के अंग मिले हैं।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अधिकारियों को घायलों के लिए हर संभव चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने और बचाव कार्यों को तत्परता से चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से बात कर गंभीर रूप से झुलसे लोगों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर बाहरी एक्सपर्ट डॉक्टरों की सेवाएं लेने को भी कहा।

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने अधिकारियों को घायलों के लिए विशेष इलाज की व्यवस्था करने और सरकारी मेडिकल कॉलेज त्रिशूर व त्रिशूर जनरल अस्पताल में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

डाइग्नोसिस सेंटर की गलत रिपोर्ट देने पर नवजात शिशु के मौत मामले में दो सदस्यीय टीम करेगी जांच

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

कुदरहा (बस्ती)। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा के बगल संचालित लाइफ सिटी डाइग्नोसिस सेंटर की गलत रिपोर्ट से नवजात शिशु के मौत के मामले में सीएमओ ने दो सदस्यी टीम को जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिये है।

बहादुरपुर ब्लाक के रामपुर गांव निवासी ओम प्रकाश यादव ने अल्ट्रासाउंड संचालक द्वारा गलत जांच रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है। उहोंने कहा कि 16 अप्रैल की शाम को पीएचसी पर एएनएम विनोदा सिंह के पास ले गया। उहोंने अल्ट्रासांउड कराने की सलाह दी। जिसे लेकर लाइफ सिटी डाइग्नोसिस सेंटर पहुंचा और जांच हुआ। जिसे एएनएम को दिखाया तो मैडम बोली जांच रिपोर्ट के अनुसार सब सही है। फिर इंजेक्शन देकर घर भेज दी। बढते दर्द को देख कल रविवार की शाम को फिर लाया तो मैडम पुनः जांच के लिए फिर इसी केंद्र पर भेजा। जिसकी रिपोर्ट हमें न देकर परचे के पीछे हायर सेंटर जाने की सलाह दिया। स्थिति बिगडती देख मैडम कैली भेज दी। वहा अल्ट्रासाउंड करोने के बाद पता चला कि दस दिन पूर्व बच्चे की मौत हो चुकी है। फिर आपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला गया और प्रसूता की जान बच पाया। वह अब सुरक्षित है जिसका उपचार अभी चल रहा है। स्वजनों ने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच कर कार्रवाई की मांग की था। जिसे संज्ञान में लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने टीम गठित कर जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये है।

इस संबंध में सीएमओ डा राजू निगम ने बताया कि लाइफ सिटी डाइग्नोसिस सेंटर की शिकायत मिली है। दो सदस्यी जांच टीम गठित कर रिपोर्ट मांगा है। जिसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रसव के दौरान बच्चे का सिर धड़ से अलग हो जाने के मामले में एसपी को दिया पत्रः कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कलवारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर निवासी दुर्गा प्रसाद पुत्र रिखई ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर प्रसव के दौरान बच्चे का सिर धड से अलग होकर दो हिस्से में बट जाने के मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया है।

एसपी को दिये पत्र में दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि उनकी पुत्र वधू प्रेमा देवी पत्नी नीरज कुमार जो लगभग सात माह की गर्भवती थी और उसके पेट में दर्द होने पर गत 8 अप्रैल एम्बुलेंस से उसे लेकर कुदरहा विकास खण्ड क्षेत्र के सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र बनहरा पहुंचे। एम्बुलेन्स में ही अस्पताल की नर्स कुसुम ने आकर ट्रीटमेन्ट शुरू किया और दर्द का इंजेक्शन लगायी जोर जबरजस्ती से बच्चा पैदा करने की कोशिश करने लगी कि बच्चा 2 टुकडो में होकर शरीर से निकला लेकिन सिर अन्दर ही रह गया। उसके बाद रक्तश्राव तेज हो जाने पर नर्स कुसुम घबरा गयी और बगल के मैक्स हास्पिटल में भेजवायी जहां मरीज घंटो तड़फती रही। उसके बाद उन लोगों ने नर्स से रेफर कर कागज बनाने को कहा तो बना नहीं रही थी। काफी वाद विवाद होने पर तब रिफर का कागज कैली अस्पताल बस्ती के लिए बनाया। कैली अस्पताल में प्रेमा देवी का इलाज चल रहा है। दुर्गा प्रसाद ने दोषी नर्स के साथ ही जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया है।

10 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर गरजे सेवानिवृत्त कर्मचारी, शिक्षक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मंगलवार को राष्ट्रीय नेतृत्व के आवाहन पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय, मंत्री उदय प्रताप पाल के नेतृत्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। मांग किया कि समस्याओं का प्रभावी निस्तारण कराया जाय। डीएम कार्यालय पर सेवानिवृत्त कर्मचारी, शिक्षक अपनी मांगों को लेकर गरजे और कहा कि भेदभाव की नीतियां समाप्त करायी जाय।

ज्ञापन सौंपने से पूर्व एसोसिएशन जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय, मंत्री उदय प्रताप पाल ने कहा कि देश के पेंशनरों में बहुत बड़ा असंतोष इस कारण से है कि उन्हें 8 वें वेतन आयोग की सीमा में नहीं रखा गया है। इस सम्बन्ध में संगठन द्वारा अनेक पत्र भेजे गये हैं एवं कार्यक्रम किये गये हैं, किन्तु समस्यां ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस समस्या का सरकार शीघ्र समाधान करायें।

जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में आयोजित धरने को माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रान्तीय महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद जिलाध्यक्ष राम बहोर मिश्र, सेवानिवृत्त कर्मचारी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष राम नरायन चौधरी, महामंत्री सर्वेन्द्र सिंह, संरक्षक सत्यदेव शुक्ल, पेंशनर एसोसिएशन उपाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र, अरुण कुमार पाण्डेय, चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, माध्यमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, राजकीय वाहन चालक संघ के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश, कोषागार कर्मचारी संघ अध्यक्ष अखिलेश पाठक, मंत्री आलोक श्रीवास्तव, सुभाष चन्द्र दूबे, श्रीनाथ मिश्र आदि ने सम्बोधित करते हुये कहा कि केन्द्र सरकार भेदभाव वाला नियम वापस ले।

सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के धरने को समर्थन देते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष मस्तराम वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल, मंत्री तौलू प्रसाद आदि ने कहा कि मांगे जायज है। इसे तत्काल पूरा कराया जाय। अध्यक्षता नरेन्द्रदेव मिश्र ने किया।

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजे 10 सूत्रीय ज्ञापन में वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाते हुये पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग की सीमा में लाये जाने, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 29–08–2008 में प्रकाशित निर्णयों के अनुसार कर्मचारियों, पेंशनरों, शिक्षकों के लिए अलग सी०पी०आई० बनाने, उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णयानुसार लम्बी सेवा अवधि का लंबित वेतन है, वह नान कन्ट्रीक्यूटरी व अनफण्डेड नहीं है, इसलिए ओ०पी०एस० बहाल किये जाने, पेंशनरों के राशिकरण की कटौती 10 वर्ष पर बन्द करने, 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष पर पांच प्रतिशत पेंशन की वृद्धि किये जाने, पेंशन को आयकर से मुक्त रखे जाने, कोरोना काल के 18 महीने के डी०ए०, डी०आर० के एरियर का भुगतान किये जाने, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने, आयुष्मान भारत में केशलेस उपचार कराने की सीमा को 10 लाख किये जाने, मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे मूल वेतन, पेंशन में मर्ज किये जाने आदि की मांग शामिल है।

यह जानकारी देते हुये एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी एल. के. पाण्डेय ने बताया कि धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सुरेशधर दूबे, सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, ई. रामचन्द्र शुक्ल, ई. देवी प्रसाद शुक्ल, श्रीगोपाल त्रिपाठी, विष्णु चन्द्र श्रीवास्तव, शम्भूनाथ मिश्र, राधेश्याम तिवारी, श्यामधर सोनी, जंग बहादुर, राम कुमार पाल, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, रामकुमार लाल, दिलीप कुमार श्रीवास्तव, छोटेलाल यादव, अनन्तधर दूबे, बुद्धिसागर पाण्डेय, दीनानाथ शुक्ल, कन्हैया प्रसाद सिंह, भगवान सिंह, करोडा देवी, कमल बहादुर सिंह, भगवानदास, बरसाती चौधरी, अंगिरा प्रसाद, मनोज कुमार श्रीवास्तव, घनश्याम लाल, वीरेन्द्र बहादुर सिंह, हरिश्चन्द्र पाल, मदनपाल सिंह, देवेन्द्र प्रताप सिंह, राजदेव पाण्डेय, साहबदीन विश्वकर्मा, रामतौल गौतम, मदनलाल गुप्ता, पुरुषोत्तम प्रसाद मिश्र, अशोक कुमार पाण्डेय, प्रेम प्रकाश मिश्र, उदयराज वर्मा, राजाराम मिश्र, जयनाथ सिंह, दिनेश चन्द्र पाण्डेय, ओम प्रकाश मिश्र, सुरेन्द्रनाथ उपाध्याय, भानु प्रताप सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, मुरलीधर शुक्ल, डा. नरेन्द्र उपाध्याय, गणेशदत्त शुक्ल, रामधीरज यादव, जोखू प्रसाद यादव, गंगाराम मिश्र, धर्म प्रकाश उपाध्याय, श्यामलाल सिंह, ओम प्रकाश पाण्डेय, राम जियावन तिवारी, दयाशंकर चौरसिया, विद्यासागर, पेशकार मिश्र, इंतियाक अहमद, गिरीश चन्द्र चौधरी, लक्ष्मीनारायण सिंह, आशाराम यादव, मंगलदेव शुक्ल, आलोक कुमार सिंह, गीता सिंह, सरोज त्रिपाठी के साथ ही बड़ी संख्या में सेवा निवृत्त कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के लोग उपस्थित रहे।

–कर्मचारी, शिक्षक पेंशनरों को 8 वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में रखा जाय–नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय

भ्रम फैलाकर स्मार्ट मीटर लगाये जाने के विरोध में ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय पर दिया धरना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। ग्रामक सूचना देकर स्मार्ट बिजली मीटर लगाये जाने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। मंगलवार को साऊंघाट विकास खण्ड क्षेत्र के कुर्धियां के नागरिकों ने किसान नेता उदयपाल पटेल, ग्राम प्रधान इरफान अहमद के नेतृत्व में अधिक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण कार्यालय के समक्ष धरना दिया। ज्ञापन देकर मांग किया कि स्मार्ट मीटर को हटाकर पूर्व की भांति विद्युत आपूर्ति कराया जाय। धरने में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दीवान चन्द पटेल, मण्डल उपाध्यक्ष जयराम वर्मा, जिलाध्यक्ष गौरीशंकर चौधरी, ब्रम्हदेव चौधरी, आज्ञाराम चौधरी, पारसनाथ, रामशब्द चौधरी, जगदीश चौधरी के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे।

ज्ञापन देने के बाद किसान नेता उदयपाल पटेल, ग्राम प्रधान इरफान अहमद ने बताया कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कुर्धियां गांव के सभी निवासियों को झूठी और भ्रामक सूचना देकर जबरदस्ती से स्मार्ट मीटर स्थापित करा दिया। कहा कि यदि अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगवाओगे तो भविष्य में दस हजार रूपया जुर्माना लगेगा। यह सूचना पूरी तरह गलत, झूठ और भ्रामक है। किसी को भी कोई लिखित आदेश दिया नहीं गया है, न ही कोई आधिकारिक अधिसूचना है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर से बिल में कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु मीटर लगने के तुरंत बाद बिल बढ़ गए। यह धोखाधड़ी है। इन स्मार्ट मीटरों में त्रुटि है या इन्हें गलत तरीके से स्थापित किया गया है। वे बार–बार बिजली को बिना किसी सूचना के स्वचालित रूप से काट देते हैं, जिससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और भारतीय दंड संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को दिये पत्र में सभी अनावश्यक स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से हटाये जाने, विद्युत आपूर्ति को तुरन्त पूर्व की भांति स्थापित किया जाने, स्मार्ट मीटरों के कारण हुए अतिरिक्त बिलों को माफ किये जाने, गलत सूचना देने वाले विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई, भविष्य में किसी भी निवासी को बिना पूर्व सूचना और लिखित अनुमति के ऐसे अनावश्यक उपकरण न लगाने के लिए लिखित निर्देश दिए जाने आदि की मांग शामिल है।

धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से शिवकुमार, इन्द्रावती, बाबूलाल, अरबाज, आकाश भारती, राधेश्याम, आकाश कन्नौजिया, शान्ती, ममता, तारामती, सिपाली, राजाराम, मीरा, रामचन्द्र, रेशमा, मंजू देवी, ऊषा भारती, अनिल कुमार, रामफेर, राम सूरत, गरिमा देवी, राम बहोर, रामकिशोर, अनीता, सुनीता, रफीकुन्निशां, फूलमती, सीताराम, गंगाराम, धर्मराज,मो. शाहिद, सुनील, ओम प्रकाश, राम प्रकाश, हरीराम, खुशबुन्निशां, सोनी, पप्पू, मालती देवी, वसीउल्लाह, मंजू देवी, गुजराती, राजेन्द्र के साथ ही बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 22 अप्रैल 2026 बुधवार

सम्पादकीय

हादसों पर कैसे हो नियंत्रण

किसी भी हादसे का सबसे बड़ा सबक यह होना चाहिए कि वे हर इंतजाम किए जाएं, ताकि वैसी त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो। मगर ऐसा लगता है कि किसी हादसे में व्यापक नुकसान के बावजूद समान स्थितियों में काम करने वाले दूसरे कारखानों में उसके कारणों पर गौर करने और भविष्य में बचने की कोशिश भी नहीं की जाती। वरना क्या कारण है कि एक ही तरह की दुर्घटनाएं बार–बार सामने आती रहती हैं और वजह के रूप में मुख्य रूप से असुरक्षित हालात में काम और लापरवाही ही दर्ज की जाती है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थित एक पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट और उसमें पच्चीस लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर यही दर्शाया है कि हादसों के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने के बावजूद अव्यवस्था बदस्तूर कायम है। खबरों के मुताबिक विरुधुनगर की फैक्ट्री में जिस वक्त विस्फोट हुआ, उस समय रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद मजदूरों से काम कराया जा रहा था। विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कम से कम तीन कमरे मलबे में तब्दील हो गए और आसपास के कई भवनों को भारी नुकसान पहुंचा।

यह समझना मुश्किल है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अभाव की स्थिति में विस्फोटक पदार्थों के बीच काम संचालित करते हुए यह ध्यान रखने की जरूरत क्यों नहीं समझी जाती कि मामूली असावधानी के नतीजे क्या हो सकते हैं। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से हुए हादसे की यह कोई अकेली घटना नहीं है। तमिलनाडु में आए दिन पटाखा कारखानों में आग लगने से लोगों की मौत की खबरें आती रहती हैं। देश के अन्य राज्यों में भी पटाखा कारखानों में आग लगने और उसमें जानमाल के नुकसान की घटनाएं अक्सर होती हैं।

मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि न फैक्ट्री मालिक हादसों से बचने के लिए जरूरी उपाय करते हैं और न ही सरकारी तंत्र और संबंधित महकमे के अधिकारी समय–समय पर यहां की गई सुरक्षा व्यवस्था की जांच और निगरानी करते हैं। सुरक्षा इंतजामों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने और नियमों की अनदेखी पर अगर फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, तो शायद अगले हादसों को रोकने की गुंजाइश बन सकती है।

बढता तापमान

उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और इसके साथ ही, सेहत संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। दिल्ली में भी अनेक जगह पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, तो बिहार के गया, कैमूर और बक्सर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। रोहतास और औरंगाबाद में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। उधर, झारखंड से तेलंगाना तक बढ़ते तापमान की वजह से स्कूलों का समय बदलना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार, कहीं–कहीं बारिश का अनुमान है, लेकिन कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में लू का प्रकोप रहेगा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का तापमान कहीं–कहीं 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। वाराणसी, झांसी में भी तापमान 43 से ऊपर दर्ज हुआ है। मौसम विभाग की यही भविष्यवाणी है कि इस सप्ताह तापमान अनेक जगह 45 डिग्री को पार कर जाएगा और उसी के अनुरूप दोपहर के वक्त लू चलने के साथ ही रात में भी गर्मी का आलम रहेगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने लंबे समय तक भीषण गर्मी के संपर्क में रहने के जोखिमों के बारे में पहले ही कई अलर्ट जारी किए हैं। विशेष रूप से संवेदनशील समूहों या लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। वैसे तो गर्मी एक मौसमी असुविधा है, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अत्यधिक तापमान के गंभीर या जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। गर्मी की शुरुआत में ही यह ध्यान कर लेना चाहिए कि लू का मानव शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क पर ज्यादा असर पड़ता है। तीव्र तापमान के समय घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और अगर घर से निकलना जरूरी हो, तो बचाव के इंतजाम साथ में रखने चाहिए। लगे हाथ, गर्मी के मौसम में पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति भी सजग रहना चाहिए। यह जल के सदुपयोग का समय है। दुनिया में भारत के हिस्से केवल चार प्रतिशत शुद्ध जल आया है, जबकि यहां विश्व के 16 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग रहते हैं। देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में बीते दो दशक में 20 प्रतिशत की कमी आई है। आमतौर पर यह देखा गया है कि गर्मी के बढ़ते ही जल संकट मंडराने लगता है, अतरू जल विभाग के लिए भी यह अतिरिक्त सावधानी का समय है।

अभी यह एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत में मौसम जनित संकट में लगातार वृद्धि हो रही है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सलाटा इंस्टीच्यूट फॉर क्लाइमेट ऐंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा प्रकाशित शोध पत्र से यह पता चलता है कि जलवायु संकट की वजह से भारत में भीषण गर्मी का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। साल 1980–90 और 2015–24 के बीच भारत की भूमि का तापमान 0.88 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसके लिए वायु प्रदूषण को भी जिम्मेदार माना गया है। निकट भविष्य में तापमान का दायरा और तीव्र होने वाला है। देश में करीब दो करोड़ लोग 2030 तक बहुत घातक गर्म हालात का सामना कर रहे होंगे। इसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा। यह ध्यान देने की बात है कि भारत में करीब आठ प्रतिशत घरों में ही वातानुकूलन की सुविधा है। एक चिंता की बात यह है कि गर्मी बढ़ेगी, तो बारिश में भी इस सदी के अंत तक 20 प्रतिशत की बढ़त हो जाएगी। इसका कृषि उपज पर भयानक असर पड़ेगा। अतरू इस बढ़ते तापमान और बिगड़ते पर्यावरण के साथ हमारी सजगता का बढ़ना भी जरूरी है, ताकि हमारे पास बचाव के पूरे इंतजाम हों और हमें मौसम की प्रतिकूलता की वजह से कम से कम नुकसान उठाना पड़े।

छात्रों में आत्महत्या की घातक प्रवृत्ति

–ललित गर्ग–

कुरुक्षेत्र स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में दो महीनों के भीतर चार छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं केवल एक संस्थान की त्रासदी एवं नाकामी नहीं हैं, बल्कि पूरे भारतीय समाज, शिक्षा व्यवस्था और हमारी सामूहिक संवेदनहीनता पर लगा गहरा प्रश्नचिह्न हैं। ये घटनाएं हमें झकझोरती हैं कि आखिर वह कौन–सी परिस्थितियां हैं, जिनमें देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं जीवन से हार मानने को विवश हो जाती हैं। कोई भी युवा, जो कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजरकर ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचता है, वह सहज रूप से जीवन का परित्याग नहीं करता, वह तब यह निर्णय लेता है जब उसे हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। यह अंधकार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और संस्थागत विफलताओं का सम्मिलित परिणाम है। एक बड़ा सवाल है कि इस तरह छात्रों का आत्मघात करना क्या सपनों का बोझ है या सिस्टम की नाकामी? आज भारत का भविष्य कहे जाने वाले युवा जिस मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हैं, वह अभूतपूर्व चिन्ताजनक है। कोटा जैसे शिक्षा नगरों में हर वर्ष दर्जनों छात्र आत्महत्या करते हैं। इन घटनाओं को हम आंकड़ों में बदल देते हैं, लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक जीवित सपना, एक संघर्षरत परिवार और टूटती उम्मीदों की कहानी होती है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और अन्य शिक्षा केंद्रों में बढ़ती आत्महत्याएं इस बात का संकेत हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ मूलभूत त्रुटियां हैं। यह केवल पढ़ाई का दबाव नहीं है, यह उस मानसिक संरचना का संकट है, जिसमें सफलता को जीवन का पर्याय बना दिया गया है और असफलता को जीवन का अंत।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2023 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में 98 छात्रों ने आत्महत्या की। इनमें सबसे अधिक घटनाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हुईं, इसके बाद एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का स्थान है। यह तथ्य इस धारणा को तोड़ता है कि केवल कमजोर छात्र ही मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। सच्चाई यह है कि सबसे प्रतिभाशाली और संवेदनशील छात्र ही अक्सर सबसे अधिक दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि वे स्वयं से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं और असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। यहां प्रश्न केवल संस्थानों का नहीं है, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का भी है जिसने सफलता को एक संकीर्ण परिभाषा में बांध दिया है। परिवार अपने बच्चों को बचपन से ही यह सिखाते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना है। अभिभावक अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च कर कोचिंग संस्थानों में बच्चों को भेजते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करते हैं। यह अपेक्षाओं का बोझ बच्चों के मन पर इतना भारी पड़ता है कि वे स्वयं को एक प्रोजेक्ट की तरह देखने लगते हैं, एक इंसान की तरह नहीं। जब यह प्रोजेक्ट असफल होता है, तो उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व ही निरर्थक हो गया है।

शिक्षा व्यवस्था का ढांचा भी इस संकट के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को ज्ञान तो देती है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाती। उन्हें बताया जाता है कि गणित कैसे हल करना है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करना है। उन्हें भौतिकी के नियम याद कराए जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना है। परिणामस्वरूप, जब वे वास्तविक जीवन की चुनौतियों से सामना करते हैं तो वे टूट जाते हैं। आज के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध भी बदल गया है। पहले शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और संरक्षक होते थे। आज यह संबंध औपचारिक हो गया है। कई शिक्षक अपनी भूमिका को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखते हैं। वे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, उनके भावनात्मक संघर्षों और उनके आंतरिक द्वंद्व को समझने का प्रयास नहीं करते। यह दूरी छात्रों को और अधिक अकेला बना देती है।

विचित्र है कि जो देश दुनिया भर में अपनी संतुलित जीवनशैली एवं अहिंसा के लिये जाना जाता है, वहां के शिक्षा–संस्थानों में हिंसा का भाव पनपना एवं छात्रों के आत्महंता होते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ना अनेक प्रश्नों को खड़ा कर रहा है। ऐसे ही अनेक प्रश्नों एवं खौफनाक दुर्घटनाओं के आंकड़ों ने शासन–व्यवस्था के साथ–साथ समाज–निर्माताओं को चेताया है और गंभीरतापूर्वक इस विडम्बनापूर्ण एवं चिन्ताजनक समस्या पर विचार करने के लिये जागरूक किया है, लेकिन क्या कुछ सार्थक पहल होगी? बहुत जरूरी है कि उच्च शिक्षण संस्थान अपनी कार्यशैली एवं परिवेश में आमूल–चूल परिवर्तन करें ताकि छात्रों पर बढ़ते दबावों को खत्म किया जा सके। फिलहाल जरूरी यह भी है कि इन संस्थानों में एक ऐसे तंत्र को विकसित किया जाए, जो निराश, हताश और अवसादग्रस्त छात्रों के लगातार संपर्क में रहकर उनमें आशा का संचार कर सके, उन्हें सकारात्मकता के संस्कार दे सके। इसके लिए स्थाई तौर पर कुछ मनोवैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।

राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन केवल जांच समितियां बनाना समस्या का समाधान नहीं है। समितियां रिपोर्ट दे सकती हैं, लेकिन वे खोए हुए जीवन को वापस नहीं ला सकतीं। आवश्यकता इस बात की है कि हम समस्या की जड़ तक पहुंचें और उसे दूर करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक उपाय करें। छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को केवल मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा मानना भी पर्याप्त नहीं है। यह एक व्यापक सामाजिक संकट है, जिसमें शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संरचना, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत मनोविज्ञान सभी शामिल हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहां सफलता की अंधी दौड़ ने मानवीय संवेदनाओं को पीछे छोड़ दिया है। यहां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि इस दौड़ में पीछे छूटने वाले भी इंसान हैं। इस समस्या का समाधान केवल नीतिगत बदलावों से नहीं होगा, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें शिक्षा की परिभाषा को बदलना होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक संतुलित और सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। छात्रों को यह सिखाया जाना चाहिए कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।

दूसरे, अभिभावकों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। उन्हें अपने बच्चों को यह समझाना होगा कि वे उनसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, न कि उनकी सफलता। उन्हें बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। तीसरे, शिक्षण संस्थानों को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझना होगा। उन्हें केवल अकादमिक उत्कृष्टता पर नहीं, बल्कि छात्रों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। हर संस्थान में प्रभावी काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए, जहां छात्र बिना किसी डर या संकोच के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। शिक्षकों को भी इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे छात्रों के व्यवहार में होने वाले बदलावों को पहचान सकें और समय रहते उनकी सहायता कर सकें। निश्चितौर पर समाज को भी अपनी संवेदनशीलता को पुनर्जीवित करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर जीवन अमूल्य है और किसी भी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा, जहां बच्चे बिना किसी भय के अपने सपनों का पीछा कर सकें और असफल होने पर भी सम्मान के साथ जी सकें। यदि हम इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते, तो यह संकट और गहराता जाएगा। हर आत्महत्या केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बल्कि हमारे समाज की विफलता का प्रमाण होती है। अब समय आ गया है कि हम इस विफलता को स्वीकार करें और इसे सुधारने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। तभी हम अपने युवाओं को इस आत्मघाती मार्ग से बचा सकेंगे और उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकेंगे।

बहू या खरीदी हुई जिंदगी?

–राजबाला–

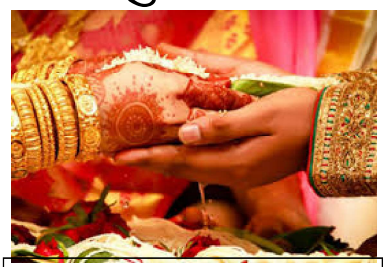

हरियाणा के कई गांवों में "बाहरी बहू" अब कोई अनसुना शब्द नहीं रह गया है। महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, बंगाल जैसे राज्यों से आई महिलाएं यहां एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें सच में "बहू" का दर्जा मिलता है, या वे सिर्फ एक खरीदी हुई जिंदगी जीने को मजबूर हैं? करनाल के एक गांव में महाराष्ट्र से लाई गई एक महिला की कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है। शादी के कुछ समय बाद ही उसे एहसास हो गया कि वह इस घर में रिश्ते से नहीं, बल्कि पैसे देकर लाई गई है। उसे अपनी बात रखने की तो बात दूर, बोलने तक की आजादी नहीं है। जब उसने विरोध करने की कोशिश की, तो उसे तिरस्कार भरे शब्द सुनने पड़े।

"तू महाराष्ट्र की है, अपनी दादागिरी वहीं दिखाना" यह केवल एक अपमानजनक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस गहरी मानसिकता का प्रतीक है, जिसमें उसे परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता। दूसरी महिला, जो पंजाब से लाई गई, पिछले 8–9 वर्षों से इस घर में रह रही है। इसके बावजूद आज तक उसके पास अपनी पहचान का कोई दस्तावेज नहीं है न आधार कार्ड, न राशन कार्ड। जब वह खुद दस्तावेज बनवाने की कोशिश करती है, तो उससे शादी का प्रमाण मांगा जाता है, जिसकी कोई तस्वीर या पुख्ता सबूत उसके पास नहीं है। परिवार भी इस दिशा में कोई पहल नहीं करता, क्योंकि उन्हें आशंका है कि कहीं वह भविष्य में संपत्ति पर अपना अधिकार न जता दे। एक अन्य महिला की कहानी आर्थिक निर्भरता की त्रासदी को सामने लाती है। उसके लिए मायके जाना एक दुर्लभ अवसर बन चुका है। चार लोगों के सफर का खर्च वहन करना उसके बस में नहीं है। जब कभी 4दृ5 वर्षों में मायके जाने का अवसर मिलता भी है, तो उसे अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ता है या ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। यह विडंबना ही है कि जिस परिवार ने उसे जन्म दिया, उससे मिलने के लिए उसे अपनी अंतिम पूंजी तक दांव पर लगानी पड़ती है।बिहार से आई एक महिला, जिसकी शादी को लगभग एक दशक बीत चुका है, आज भी सरकारी रिकॉर्ड में "मौजूद" नहीं है। हर बार उससे मायके का प्रमाण मांगा जाता हैकृएक ऐसा प्रमाण, जो उसके पास नहीं है। बिना पहचान के वह किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकती। वह इस घर में रहती है, काम करती है, बच्चों की परवरिश करती है, लेकिन कागजों में उसका कोई अस्तित्व नहीं है।

इन अलग–अलग कहानियों को जब एक साथ रखा जाता है, तो एक भयावह तस्वीर उभरती है ब्राइड ट्रैफिकिंग की। यह वह सच्चाई है, जहां दलालों के माध्यम से लड़कियों को लाया जाता है, उन्हें झूठे सपने दिखाए जाते हैं और फिर एक ऐसी जिंदगी में धकेल दिया जाता है, जहां अधिकार, पहचान और सम्मान तीनों का अभाव होता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इन महिलाओं के दस्तावेज तक नहीं बनने दिए जाते। कारण स्पष्ट हैकृ पहचान मिलने पर वे अपने अधिकारों की मांग कर सकती हैं, संपत्ति में हिस्सा मांग सकती हैं और अपने अस्तित्व को प्रमाणित कर सकती हैं। बिना दस्तावेज के वे न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित रहती हैं, बल्कि एक तरह से "अदृश्य नागरिक" बन जाती हैं। आर्थिक निर्भरता इस शोषण को और गहरा करती है। स्वयं की कोई आमदनी नहीं, मायके जाने तक के लिए संसाधनों का अभावकृऐसी स्थिति में वे पूरी तरह परिवार पर निर्भर हो जाती हैं। यह निर्भरता उन्हें एक तरह की बंधुआ स्थिति में कैद कर देती है, जहां विरोध की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का असर केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि गहरा मानसिक भी है। लगातार यह अहसास कराया जाना कि वे "बाहरी" हैं, उनकी आवाज का कोई महत्व नहीं है, और उनकी पहचान अधूरी हैकृयह सब उन्हें भीतर से तोड़ देता है। अब सवाल केवल समाज से नहीं, बल्कि व्यवस्था से भी हैकृ अगर इन महिलाओं को बहू बनाकर लाया जाता है, तो क्या उन्हें वही अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जो एक स्थानीय महिला को मिलते हैं? क्या पति के आधार पर उनके पहचान–पत्र नहीं बनाए जा सकते? क्या उन्हें अपने मायके जाने, अपनी पहचान स्थापित करने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का अधिकार नहीं है? ये "बाहरी बहुएं" दरअसल हमारे समाज का वह आईना हैं, जिसे हम देखना नहीं चाहते। जब तक इन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक "शादी" के नाम पर चल रहा यह सिलसिला दरअसल छिपी हुई मानव तस्करी ही बना रहेगा।

लेखिका– लंबे समय से 'इम्पॉवर पिपुल' संस्था के साथ जुड़कर ब्राइड ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम कर रही हैं और प्रभावित महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयासरत हैं।

अपने देश भारत में 'दुल्हन की तस्करी एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जहाँ महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों को शादी के बहाने खरीदा और बेचा जाता है। इसे अक्सर 'पारो' या 'मोल की बहुएं' जैसे नामों से भी जाना जाता है। उत्तर भारत के राज्यों (जैसे हरियाणा और पंजाब) में कन्या भ्रूण हत्या और बेटों की प्राथमिकता के कारण लड़कियों की कमी हो गई है। इस 'पुरुष विवाह संकट' के कारण पुरुष दूसरे गरीब राज्यों से दुल्हनें खरीदने को मजबूर होते हैं। तस्कर अक्सर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और ओडिशा जैसे राज्यों के गरीब परिवारों को निशाना बनाते हैं। माता–पिता को अच्छी शादी का झांसा देकर या थोड़े पैसे देकर लड़कियों को ले जाया जाता है। तस्करी कर लाई गई महिलाओं को अक्सर 'दासी' की तरह रखा जाता है। उन्हें न केवल घरेलू काम और खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है, बल्कि शारीरिक और यौन शोषण का भी सामना करना पड़ता है। कई मामलों में, एक ही महिला को परिवार के कई सदस्यों के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है। द गार्डियन के अनुसार, भारत में लाखों महिलाएं इस तरह की गुलामी में फंसी हुई हैं। हालांकि सटीक आंकड़े मिलना मुश्किल है, लेकिन 2014 के एक सर्वेक्षण में उत्तर भारत के 85 गांवों में 1,352 तस्करी की गई पत्नियां पाई गई थीं। कुछ मामलों में, यदि पति की मृत्यु हो जाती है या वह महिला को अब और नहीं रखना चाहता, तो उसे दोबारा किसी और को बेच दिया जाता है।

हिमालयी पर्यावरण पर तीर्थयात्रियों का दबाव

–जय सिंह रावत–

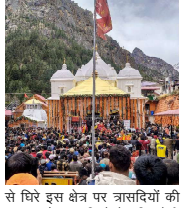

हिमालय की अति संवेदनशील पर्यावरणीय स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा के लिए प्रतिदिन तीर्थयात्रियों की संख्या तय होनी जरूरी है। लेकिन स्थानीय हितधारकों के दबाव के चलते राज्य में यह सीमा एक बार लागू करके वापस ले ली गयी। बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के चलते सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं।

अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ग्रीष्मकाल के लिए शुरू हो चुकी है। देश–विदेश के लाखों श्रद्धालु ऑनलाइन यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि हिमालय की अति संवेदनशील पर्यावरणीय स्थिति को देखते हुए आखिर कितने तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा एक ही दिन में एक साथ कर सकते हैं।

हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी भी बार–बार उत्तराखंड सरकार पर जोर डाल रहा है कि वह चारों धामों की कैरीइंग कैपेसिटी (धारण क्षमता) का वैज्ञानिक अध्ययन करवाकर रिपोर्ट पेश करे ताकि कानूनन आगंतुकों की संख्या तय की जा सके। लेकिन होटल, ढाबा, पुजारियों और अन्य हितधारकों का इतना दबाव है कि उनकी नाराजगी से सीधे राजनीतिक संभावनाओं पर असर का जोखिम है। इसी दबाव के चलते 2022 में यात्रियों की तय सीमा को 2023 में स्वयं ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब एनजीटी व पर्यावरणवादी इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार, पहले से ही बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के संकट से घिरे इस क्षेत्र पर त्रासदियों की संख्या और आवृत्तियों में वृद्धि होती जा रही है। हिमालय एशिया का जलस्तंभ होने के साथ ही उपमहाद्वीप का मौसम नियंत्रक भी है, इसलिये हिमालय के संकट को मात्र स्थानिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता।

पिछले 25 साल में उत्तराखंड स्थित चारों हिमालयी धामों में यात्रियों के साथ ही वाहनों की संख्या भी कई गुना बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल यात्रियों की संख्या वर्ष 2025 में 51,09,848 तक पहुंच गई है। वहीं वाहनों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। वाहनों से जो प्रदूषणकारी उत्सर्जन होता है, उसमें कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फोटोकैमिकल ऑक्सीडेंट, वायु विष यानी बेंजीन, एल्डिहाइड, ब्यूटाडीन, सीसा, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन व सल्फर के ऑक्साइड आदि शामिल होते हैं। पर्यावरणविदों के लिए एक और चिंता का विषय ब्लैक कार्बन है, जो कि जलवायु परिवर्तन करने के साथ ही ग्लेशियरों को भी पिघला रहा है।

एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को आगामी 21 जुलाई से पहले चारों धामों में भीड़ की दृष्टि से वहन क्षमता को लेकर वैज्ञानिक रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है। वास्तव में हिमालयी क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण की कवायद सदा से विवादों और दबावों के घेरे में रही है। राज्य सरकार ने 2022 में साहसिक निर्णय लेते हुए प्रतिदिन यात्रियों की संख्या निर्धारित की थी, जिसमें बद्रीनाथ के लिए 15 हजार और केदारनाथ के लिए 12 हजार जैसी सीमाएं तय थीं। इसे सुरक्षा की दिशा में मानक कदम माना गया था। लेकिन वर्ष 2023 आते–आते स्थानीय व्यावसायिक हितों और हितधारकों के आर्थिक दबाव के चलते यह सीमा हटा ली गई। होटल व्यवसायियों व परिवहन संचालकों की अल्पकालिक आर्थिक चिंताओं ने दीर्घकालिक सुरक्षा जोखिमों को पीछे धकेल दिया।

वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और आईआईटी रुड़की के शोध इशारा करते हैं कि हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों की अपनी एक भौतिक सीमा है। वैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्येक धाम की भौगोलिक बनावट, ढलानों की स्थिरता और वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन भिन्न हैं। आईआईटी रुड़की के आपदा विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक मानवीय गतिविधियों और भारी निर्माण कार्य से ढलानों की 'इंटरनल बाइंडिंग' कमजोर होती है, जिससे भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जब इन अस्थिर ढलानों पर वाहनों और लोगों का अतिरिक्त भार पड़ता है, तो यह किसी बड़े भूगर्भीय असंतुलन का ट्रिगर बन सकता है।

कार्यालय ग्राम परसा जाफर वि.खं. साऊंघाट, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **परसा जाफर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/चन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/बीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैंड, बालू, मोरंग, गिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **परसा जाफर** के निविदा बाक्स में दिनांक 21–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 15–04–2026 से दिनांक 20–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **परसा जाफर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **परसा जाफर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई दुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टल एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **परसा जाफर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू० है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(जाकिया तवस्सुम) प्रधान ग्राम पंचायत–परसा जाफर

(रीता चौधरी) सचिव ग्राम पंचायत–परसा जाफर

कार्यालय ग्राम पकरी नासिर वि.खं. साऊंघाट, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पकरी नासिर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/चन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/बीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैंड, बालू, मोरंग, गिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पकरी नासिर** के निविदा बाक्स में दिनांक 23–04–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 22–04–2026 से दिनांक 22–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पकरी नासिर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पकरी नासिर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई दुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टल एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पकरी नासिर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू० है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(भानमती) प्रधान ग्राम पंचायत–पकरी नासिर

(रीता चौधरी) सचिव ग्राम पंचायत–पकरी नासिर

आर्केस्ट्रा में मनपसंद गीत बजाने को लेकर विवाद, तीन बाइक व झोपड़ी फूंकी

संवाददाता–देवरिया। खुखुन्दू थाना क्षेत्र के पकड़ी ओझा गांव में सोमवार की देर रात आर्केस्ट्रा में मनपसंद गीत बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस बीच किसी ने झोपड़ी में आग लगा दी। इससे तीन बाइक व झोपड़ी जलकर राख हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।थाना क्षेत्र के पकड़ी ओझा उर्फ ओझवलिया गांव में अशोक पाठक के बेटे का उपनयन संस्कार सोमवार को था। दिन में उपनयन के बाद रात को भोजन व आर्केस्ट्रा की व्यवस्था था।

आर्केस्ट्रा के दौरान मनपसन्द गीत बजाने को लेकर युवकों में विवाद हो गया। कहा सुनी के बाद मारपीट शुरू हो गयी। गांव के लोगों ने समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत करा दिया। कुछ देर बाद कुछ मनबढ़ युवकों ने गांव के बाहर स्थित अशोक की झोपड़ी में आग लगा दी। जब तक लोग पहुंचते आग फैल गयी तथा झोपड़ी व उसमें रखीं तीन बाइकें जलकर राख हो गयी। एक बाइक अशोक व दो उनके रिश्तेदारों की थीं। आग से एक चौकी, चारपाइयां और एक ठेला भी जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह ने बताया कि आर्केस्ट्रा को लेकर विवाद हुआ था। मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

डंठल की आग से तीन झोपड़ियां राख

संवाददाता–देवरिया। डंठल में लगी आग फैलने से तीन रिहायशी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। आग से बांस की कोठी का कुछ हिस्सा भी जल गया। थाना क्षेत्र के नूनखार ग्राम पंचायत अन्तर्गत मकुनहीं गांव के पश्चिम करीब साढ़े बारह बजे दिन में पकड़ी गांव की ओर से डंठल में लगी आग फैलते हुए आई और गांव के तीन झोपड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। आग लगने से वृद्धिचंद्र पुत्र बनवारी, मोती चंद एवं विजय कुमार पुत्र स्व उमराव की झोपड़ी जल गई। मोतीचंद और वृद्धिचंद दोनों सगे भाई हैं। वृद्धिचंद की अधिक क्षति हुई। पशुओं के लिए रखा हुआ भूसा, कपड़ा अन्य सामान जल कर खाक हो गया। दोनों भाइयों का करौरैन भी जल गया। पंपिंग सेट की सहायता से गांव के लोगों ने आग पर काबू पा लिया।दूसरी आग लगने की घटना खुखुन्दू चौराहे से पूरब एवं गांव के दक्षिण तरफ दक्षिण दीघा टोला पर हुई। डंठल की आग से फैली आग ने राम प्रसाद राय, विनोद राय, देवव्रत राय, बृजेश यादव, रामाशंकर यादव की बांस की कोठी एवं बगीचे के कुछ पेड़ झुलस गए। यहां आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल पहुंचा और आगे को फैलने से रोक दिया। फसल की कटाई हो चुकी है। खेतों में डंठल होने से अधिक नुकसान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि यदि दमकल नहीं पहुंची होती तो आग तांडव मचाते हुए खुखुन्दू गांव की तरफ फैल गई होती।

कार्यालय ग्राम पड़री वि.खं. रूधौली, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पड़री** द्वारा पंचम राज्य वित्त/चन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/बीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैंड, बालू, मोरंग, गिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पड़री** के निविदा बाक्स में दिनांक 28–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 22–04–2026 से दिनांक 28–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पड़री** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पड़री** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई दुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टल एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पड़री** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(करोड़ा) प्रधान ग्राम पंचायत–पड़री

(सतीश चन्द्र गौतम) सचिव ग्राम पंचायत–पड़री

विकास भवन पर बीसी सखियों का प्रदर्शन

संवाददाता–देवरिया। मंगलवार को जनपद की बीसी (बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट) सखियों ने विकास भवन परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। बीसी सखियों का कहना है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में घर–घर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाती हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डब्ल्यू) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बीसी सखियों ने सात प्रमुख मांगें रखीं। इनमें शासनादेशों का पूर्ण पालन, राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्पष्ट संबद्धता, लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग शामिल है। उन्होंने आयुष्मान योजना से जोड़ने, बैंकिंग कार्यों में कमीशन कटौती रोकने और बैंकों द्वारा कथित शोषण पर रोक लगाने की भी मांग की। बीसी सखियों ने बताया कि उनमें से अधिकांश पर लगभग 75 हजार रुपये तक का कर्ज है, जिसे चुकाना उनके लिए कठिन हो रहा है। इस स्थिति में उन्होंने कर्ज माफी की मांग की है।

पीछे से कार ने मारी ठोकर, बाइक पर बैठी महिला की मौत

संवाददाता–महराजगंज। घुघली क्षेत्र के घुघली–कप्तानगंज मार्ग स्थित मंगलपुर पटखौली ढाले के समीप मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार दंपति को पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने जोरदार ठोकर मार दी। इस हादसे में बाइक के पीछे बैठी महिला बुरी तरह घायल हो गई। सीएचसी घुघली से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम मठिया निवासी चंद्रेश्वर प्रजापति बाइक से अपनी पत्नी पुनीता (29) को लेकर रिश्तेदारी में गया था। मंगलवार दोपहर में वे दोनों रिश्तेदारी से घर लौट रहे थे। इसी बीच मंगलपुर पटखौली ढाले के पास पीछे से आ रही कार से उसे जोरदार ठोकर लग गई। इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठी महिला सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। वह सड़क पर ही अचेत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल महिला को हादसे वाली कार से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुघली पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज कर उसकी नाजुक हालत देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। महिला को रेफर किए जाने के बाद परिजन महिला को उसी कार से जिला अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में बेलवा टीकर के आगे महिला ने दम तोड़ दिया।थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी।

एसएसबी ने स्कूल में सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया

संवाददाता–महराजगंज। 22वीं वाहिनी एसएसबी के समवाय राहत एवं बचाव दल पथलहवा ने मंगलवार को रॉयल माउंट स्कूल, बहुआर (निचलौल) में एक स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न आपदाओं से सुरक्षित रहने और बचाव के उपायों के बारे में व्यावहारिक जानकारी देना था। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। इसमें आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके शामिल थे। विशेष रूप से, बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने, तेज बहाव से बचने और आग लगने पर तुरंत बाहर निकलने के तरीके समझाए गए। छात्रों को अलार्म बजाने और प्राथमिक सुरक्षा उपाय अपनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, इमरजेंसी एवं नॉन–इमरजेंसी मूवमेंट के साथ–साथ सीपीआर जैसी जीवन रक्षक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया और बच्चों को उनका अभ्यास कराया गया। इस पहल से विद्यार्थियों और शिक्षकों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ी। कार्यक्रम में विद्यालय के एमडी नरेंद्र पटेल सहित शिक्षक और छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे, जिससे आपात स्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें तैयार किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारीः तहसीलदारों के साथ सफल आयोजन पर अहम बैठक

संवाददाता–कुशीनगर। जिले में मंगलवार दोपहर 1रू00 बजे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हुई, जिसमें जनपद के सभी तहसीलदारों ने भाग लिया। बैठक का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री भुवन ने किया। यह बैठक उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश और जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर, श्री संजीव कुमार त्यागी के आदेश पर आयोजित की गई थी। इसमें 09 मई 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल और प्रभावी बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। सचिव श्री भुवन ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे अपने न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों की शीघ्र पहचान करें। उन्होंने इन वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

आईजी अमित पाठक ने किया गोलीकांड घटनास्थल का निरीक्षण, जिपं सदस्य प्रतिनिधि पर चली थी गोली

संवाददाता–गोंडा। जिले के परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डेहरास ग्राम पंचायत के गजराज पुरवा में सोमवार देर रात भाजपा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह पर गोली चलाई गई थी। इस घटना के बाद आज मंगलवार को देवीपाटन रेंज के आईजी अमित पाठक ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है।

आईजी पाठक ने भूपेंद्र सिंह के घर से लेकर घटना स्थल तक पैदल चलकर जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद सीओ करनैलगंज अभिषेक और परसपुर थाना अध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। घटना स्थल भूपेंद्र सिंह के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। आईजी ने घटनास्थल पर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी का भी निरीक्षण किया है।

आईजी अमित पाठक ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से भी बातचीत कर घटना से जुड़ी अहम जानकारी जुटाई। उन्होंने गोंडा पुलिस को इस गोलीकांड का जल्द से जल्द खुलासा करने और इसमें शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के निर्देश दिए। आईजी ने पुलिस को सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गांव के लोगों से भी घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गोंडा पुलिस को जल्द से जल्द सभी बिंदुओं पर जांच कर गोलीकांड का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। आईजी ने यह भी बताया कि वह इस पूरे मामले की लगातार निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि घायल भूपेंद्र सिंह का लखनऊ में ऑपरेशन हो गया है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। आईजी ने आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह खड़ा है।

डीजल–पेट्रोल संकट से हाहाकार, हाईवे जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन

संवाददाता–बलरामपुर। जिले में डीजल और पेट्रोल न मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। मंगलवार सुबह डीजल पेट्रोल न मिलने से गुस्साए लोगों ने इंडियन पेट्रोल पंप के सामने बलरामपुर–बहराइच राजमार्ग को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम को हटवाने के लिए कोई भी पुलिस कर्मी नजर नहीं आया। इसी तरह से अन्य पेट्रोल पंपों पर भी तेल को लेकर पूरे दिन मारामारी रही। पिछले चार दिनों से जिला मुख्यालय के अधिकांश पेट्रोल

पंपों पर डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति ठप है।

मंगलवार सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग डीजल पेट्रोल लेने के लिए पंप पर लाइन में लगे थे। कई लोग सुबह 5 बजे से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब सुबह 8 बजे तक उन्हें ईंधन उपलब्ध नहीं हुआ तब लोगों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेट्रोल पंप मालिकों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि उन्हें जरूरी काम से जाना था, लेकिन लंबा जाम लगने के कारण वे समय पर नहीं पहुंच सके। वहीं पेट्रोल पंप पर खड़े कुछ शिक्षकों ने कहा कि बाइक में तेल न होने के कारण वे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। ईंधन संकट का असर केवल परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती–किसानी और सामाजिक आयोजनों पर भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और अधिक खराब बताई जा रही है, जहां डीजल की कमी के चलते खेतों में काम प्रभावित हो रहा है।

राप्ती नदी में दो किशोरियों की डूबने से मौत

संवाददाता–श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में नहाते समय दो किशोरियों की डूबने से दुखद मौत हो गई। यह घटना मंगलवार को नारायणपुर गांव के पास हुई, जहां दोनों गहरे पानी में चली गईं। मृतकों की पहचान नारायणपुर निवासी गुलशना (14) पुत्री छुटकऊ और अंशु देवी (12) पुत्री धर्राज के रूप में हुई है। दोनों गांव के पास बह रही राप्ती नदी में नहाने गई थीं। नहाते समय उन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा और वे अचानक गहरे पानी में चली गईं। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर सुनकर तुरंत नदी में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों किशोरियों को नदी से बाहर निकाला। हालांकि, जब तक उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है।

दुर्गा शक्ति नागपाल ने संभाला देवीपाटन मंडल आयुक्त का कार्यभारःविकास कार्यों को बताया प्राथमिकता

संवाददाता–गोण्डा। 2010 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने आज मंगलवार गोंडा पहुंचकर गोंडा देवीपाटन मंडल की नई कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने जनहित और विकास कार्यों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है।

नागपाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मंडल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास परियोजनाओं की जानकारी ली। लखीमपुर खीरी से गोंडा पहुंचीं नवनियुक्त कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल का सर्किट हाउस में गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया।

बैठक के दौरान कमिश्नर ने मंडल के चारों जिलों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से नेपाल से सटे जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए और इन क्षेत्रों की स्थिति के बारे में भी जानकारी हासिल की।

मीडिया से बात करते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि देवीपाटन मंडल उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण मंडलों में से एक है। यहां के चारों जिलों की प्रदेश के विकास में अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भी यह मंडल महत्वपूर्ण है।

उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार की सभी विकास योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचें।कमिश्नर ने जोर दिया कि वंचित वर्ग को सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को धरातल पर उतारने के लिए काम किया जाएगा। नागपाल ने मौजूदा अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जनहित और विकास कार्यों के साथ–साथ जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

रात में घर से निकला था युवक, सुबह कुआनो नदी में उतराता मिला शव

संवाददाता–गोरखपुर। धनघटा थाना क्षेत्र के बंसवारीगांव चौकी अंतर्गत कुआनो नदी में मंगलवार सुबह एक युवक का उतराता हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव की शिनाख्त सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ढड़ीजोत निवासी 24 वर्षीय अमरेंद्र प्रताप के रूप में की। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

परिजनों के अनुसार अमरेंद्र प्रताप अविवाहित था और बीएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसके पिता रामकृपाल ने बताया कि वह अक्सर बिना बताए रात में घर से निकल जाता था और कुछ समय बाद वापस लौट आता था। बताया गया कि सोमवार की रात करीब 2 बजे भी वह बिना किसी को बताए घर से चला गया था। मंगलवार सुबह उसका शव कुआनो नदी में मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक सात भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता कुशीनगर न्यायालय में पेशकार पद से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में घर पर ही रहते हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस अधीक्षक ने महिला बैरक जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया

संवाददाता–संतकबीरनगर। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने जनपद संतकबीरनगर के खलीलाबाद में स्थित महिला थाना परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिला बैरक में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान, पुलिस अधीक्षक ने निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़े निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मीना ने यह भी निर्देश दिए कि कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य महिला पुलिस कर्मियों को आवास और सुविधाओं के लिए किसी भी असुविधा से बचाना है। उन्होंने बैरक में प्रकाश, वेंटिलेशन और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर की साफ–सफाई पर विशेष ध्यान देने और सरकारी संपत्ति के उचित रख–रखाव के लिए भी निर्देश जारी किए।

डंठल की आग गांव तक फैली, एक गाय झुलसी

संवाददाता–संतकबीरनगर। नाथनगर के महुली क्षेत्र में मंगलवार को खेतों में लगी डंठल की आग तेजी से फैल गई। तेज हवा के कारण यह आग डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों के खेतों तक जा पहुंची, जिससे भारी नुकसान हुआ और एक गाय भी मामूली रूप से झुलस गई। आग की लपटें ओनिया, सकरैचा, उसरापार, भटौरा, टुम्पार, जमुनी, कोडरा भुआल पट्टी, देवापार और खिरिया सहित कई गांवों के सीवान को अपनी चपेट में लेते हुए गोरखपुर जिले की सीमा तक जा पहुंची थीं। खिरिया गांव में राम पति की एक गाय मामूली रूप से झुलस गई। आग से दर्जनों पेड़, बांस की खूंटी और उपले जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। इससे आग पर काबू पाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी तरह, क्षेत्र के डहरौली गांव के पास एक और आग लग गई, जो अजांव, केवटली, जोतिखापुर और करनपुर के सीवान तक फैल गई। ग्रामीणों ने आग को आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए प्रयास किए। तहसीलदार धनघटा रामजी ने बताया कि आग लगने की सूचना पर संबंधित लेखपाल और अन्य राजस्वकर्मी को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।

स्कूली बस की चपेट में आकर छात्र की मौत

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के औरहवा गांव में मंगलवार सुबह एक स्कूली बस की चपेट में आने से 8 वर्षीय छात्र आदित्य कुमार की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। परिजनों ने स्कूल मैनेजमेंट और बस चालक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। आदित्य कुमार, अनिल शर्मा का पुत्र था और बरसाती इंटर कॉलेज पथरदेईया में कक्षा 2 का छात्र था। वह अपनी बहनों के साथ स्कूल बस का इंतजार कर रहा था। बस आने पर उसकी बहनें बस में चढ़ गईं, लेकिन आदित्य के चढ़ने से पहले ही चालक ने बस आगे बढ़ा दी। इससे आदित्य संतुलन खोकर नीचे गिर गया और बस की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

परिवार में विवाद के बाद घर से निकला था युवक, पेड़ से गमछा–शर्ट के फंदे पर लटका मिला शव

संवाददाता–गोरखपुर। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में मंगलवार तड़के एक 28 वर्षीय युवक का शव नहर किनारे पेड़ से फंदे के सहारे लटकता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलवार सुबह नहर की ओर जा रहे एक ग्रामीण की नजर पेड़ की डाली से लटक रहे शव पर पड़ी। उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर जुट गए। मृतक की पहचान गांव निवासी धनन्जय उर्फ अनुज सिंह (28) पुत्र अमर सिंह के रूप में हुई। सूचना पर पहुंचे परिजन कुछ देर रुकने के बाद बिना कुछ बोले वापस लौट गए।

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे बाद शव को नीचे उतरवाया। बताया जा रहा है कि मृतक का घर घटनास्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर है। वह गांव में मेडिकल स्टोर चलाता था और तीन भाइयों में सबसे छोटा था। परिवार में उसकी तीन बहनें हैं, जिनमें दो की शादी हो चुकी है।

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार सोमवार रात किसी बात को लेकर परिवार में विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक घर से चला गया था। मंगलवार सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला। शव गमछा और शर्ट से बने फंदे के सहारे लटक रहा था, वहीं बंडी पर एक स्थान पर खून के निशान भी पाए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। 25, 26 और 27 अप्रैल को होमगार्ड भर्ती परीक्षा–2026 आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन की उपस्थिति में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कैम्प कार्यालय पर हुई, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक ऑफिसर, केंद्र व्यवस्थापक और अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने और परीक्षा से पहले सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक ऑफिसर और केंद्र व्यवस्थापकों को सभी परीक्षा केंद्रों का पूर्व निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और बैठने की व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हों। किसी भी कमी को तत्काल दूर करने के आदेश दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था पर भी व्यापक चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर कड़ी चेकिंग की जाए। विशेष रूप से मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य संदिग्ध उपकरणों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। किसी भी अभ्यर्थी को प्रतिबंधित सामग्री के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और मानवीय दोनों स्तरों पर सतर्कता आवश्यक है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए अधिकारी समय से अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचें और अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही संज्ञान में आती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने भी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था चाक–चौबंद रहेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी या संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बैठक में बताया गया कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक संचालित होगी।

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिनी सरिता पत्नी स्वर्गीय शीतला प्रसाद ग्राम– महमुदवा ग्राण्ट पोस्ट व थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर की निवासिनी है। मेरे चार पुत्र राम प्रसाद, विनोद, मनोज और गोविन्द मेरे कहने सुनने में नहीं हैं और वे आये दिन मुझे भी प्रताड़ित करते रहते हैं। इससे दु:खी होकर मैंने अपने चारों पुत्रों को अपने चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अपने किसी भी प्रकार के व्यवहार, लेन–देन आदि के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रकाशन इसलिये करा रही हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान तृतीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0– 255/2008
लालता
बनाम
रामधीरज आदि
4/1 हरिहर प्रसाद 4/2 साधु सरन 4/3 ओंकार पुत्रगण दयाराम 4/4 कामिनी 4/5 मंजू पुत्रीगण दयाराम साकिनान मौजा सिसई तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 18–05–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 18 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
(आर्डर 5 कायदा 3)
न्यायालय–श्रीमान प्रथम अति0 जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
इजरा वाद सं0 02/2026
राममूरत
बनाम
भुईधर आदि
1/1 मनोज कुमार आयु लगभग 30 साल 1/2 रामपाल आयु लगभग 22 साल पुत्रगण भुईधर 1/3 शिवपाल आयु लगभग 12 साल नावालिग पुत्र भुईधर ववलायत श्याम पियारी माता खुद 1/4 श्याम पियारी आयु लगभग 60 साल विधवा भुईधर साकिनान मौजा रोहदा तप्पा बनगवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 01–05–2026

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 05 के 01 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
मुतफरका अपील सं0–29/2026
अदालत– श्रीमान प्रथम अति0 जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
हफीजुल्लाह
बनाम
इश्हाक आदि
1. इश्हाक उम्र लगभग 64 साल 2. मोहम्मद मुश्ताक उम्र लगभग 54 साल (मृतक) 3. मो0 इश्तियाक उम्र लगभग 36 साल पुत्रगण शहादत 4. मो0 हनीफ उम्र लगभग 71 साल 5. मो0 यारिफ उम्र लगभग 56 साल 6. मो0 फारूख उम्र लगभग 51 साल 7. मो0 लतीफ उम्र लगभग 46 साल पुत्रगण छोटक 8. जलील उम्र लगभग 71 साल पुत्र नबाब अली 9. खलील (मृतक) 9/1 खुर्शीद उम्र लगभग 39 साल 9/2 फरियाद उम्र लगभग 36 साल 9/3 इरशाद उम्र लगभग 33 साल 9/4 नौशाद उम्र लगभग 29 साल पुत्रगण स्व0 खलील 9/5 खुशबुन्निशा उम्र लगभग 62 साल पत्नी स्व0 खलील 10. इस्माइल उम्र लगभग 54 साल पुत्र नबाब अली निवासीगण मौजा मनिकौरा तप्पा उमरा परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला बस्ती

तारीख पेशी 19–05–2026

अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 19 महीना 05 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–678/2025
रामनवल
बनाम
राज्य सरकार उ0प्र0 आदि
1. राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा कलेक्टर बस्ती 2. तहसीलदार हर्रैया जिला बस्ती 3. ग्राम पंचायत सिरसिया द्वारा प्रधान निवासी साकिन सिरसिया तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती 4. भूमि प्रबन्धक समिति सिरसिया द्वारा अध्यक्ष निवासी साकिन सिरसिया तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती
–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
5. रामसागर उम्र लगभग 60 वर्ष 6. रामचन्दर उम्र लगभग 58 वर्ष पुत्रगण बहरैची साकिन सिरसिया तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 16–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 16 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
अपील सं0– /2025
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान प्रथम अतिरिक्त अधिकारी महोदय बस्ती जिला बस्ती
शिव कुमार आदि
बनाम
निरंजन आदि
1. निरंजन पुत्र जुड़ावन
–प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. भगौती पुत्र बुझावन
–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग
3. अरविन्द कुमार 4. गुलसन कुमार पुत्रगण मायाराम 5. सोनू देवी पुत्री मायाराम 6. सागरमती पत्नी मायाराम 7. श्रीदेवी पुत्री मायाराम
–प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग
8. हरिहर प्रसाद पुत्र शिवपूजन 9. गुलाबचन्द्र 10. रामपूजन पुत्रगण जसकरन 11. त्रिभुवन 12. रामभवन पुत्रगण भिखई 13. ग्राम प्रधान ग्राम सभा वैष्णोपुर तप्पा कलवारी परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती निवासीगण ग्राम वैष्णोपुर तप्पा कलवारी परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 27–04–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 27 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
सिविल अपील सं0–52/2025
अदालत– श्रीमान द्वितीय अति0 जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
ध्रुवचन्द्र
बनाम
शिवमूरत आदि
1. शिवमूरत (मृतक) 1/1 विजय कान्त आयु लगभग 54 साल 1/2 लक्ष्मी कान्त आयु लगभग 51 साल 1/3 सूर्यकान्त आयु लगभग 49 साल 1/4 चन्द्रकान्त आयु लगभग 44 साल पुत्रगण शिवमूरत 1/5 शैलजाकान्त आयु लगभग 29 साल 1/6 शिवकान्त आयु लगभग 27 साल पुत्रगण स्व0 श्रीकान्त 1/7 उषा देवी आयु लगभग 55 साल पत्नी स्व0 श्रीकान्त निवासीगण गड़हा ओझा तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती 2. हरिमूरत (मृतक) 2/1 मुन्नू उर्फ रविकान्त आयु लगभग 25 साल पुत्र हरिमूरत 3. रमाकान्त आयु 52 साल 4. कृष्णकान्त (मृतक) 4/1 श्रीमती जशोमती आयु लगभग 62 साल पत्नी स्व0 कृष्णकान्त 4/2 देवकान्त आयु लगभग 39 साल पुत्र स्व0 कृष्णकान्त 4/3 पुष्पा देवी आयु लगभग 37 साल 4/4 निशा देवी आयु लगभग 35 साल पुत्रीगण स्व0 कृष्णकान्त 4/5 पिंकी आयु लगभग 34 साल पुत्री स्व0 कृष्णकान्त सभी निवासीगण गड़हा ओझा तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 30–04–2026

अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 30 महीना 04 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्घोषणा
प्रकीर्ण उत्तराधिकार वाद संख्या 49/2026
न्यायालय–सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर
1. कृष्णकान्त उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र स्व0 अनिरुद्ध 2– विवेक कुमार प्रियदर्शी नावालिग उम्र करीब 14 वर्ष संरक्षक/वादमित्र भाई हकीकी कृष्णकान्त स्वयं समस्त निवासीगण ग्राम अहिरौली तप्पा थरौली परगना व तहसील नौगढ जिला सिद्धार्थनगर
–प्रार्थी/आवेदक
बनाम
ईस्टेट
सरकार उ0प्र0 आदि

तारीख पेशी– 08.05.2026

प्रा0 पत्र अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

अपने पिता मृतक अनिरूद्ध को देय ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति के लिये सन 1886 ई0 के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।

चूंकि ने प्रमाण पत्र को अभिप्राप्ति के लिये आवेदन दिया है और सन 2026 के 05 के 08 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अत: यह उदघोषणा निकाली जाती है कि जिस किसी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपत्ति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा ..10 बजे पूर्वान्ह न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप संजात होकर अपनी आपत्ति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।

2026 के 04 के दिवस 20 को दिनांकित।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–259/2025
श्रीमती संगीता
बनाम
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा आदि
1. बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा गौरा कप्तानगंज तप्पा खुरियार परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती जरिये शाखा प्रबन्धक 2. किसमता देवी पत्नी मिश्रीलाल निवासी ग्राम कोयलरा तप्पा खुरियार पोस्ट दयालपुर परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती पिन कोड–272131

तारीख पेशी 07–07–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 07 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–442/2024
सावित्री
बनाम
ममता यादव आदि
1. ममता यादव पुत्री मंहगू यादव निवासी ग्राम भद्दीपुर तप्पा पिपरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती
–प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बहादुरपुर तप्पा पिलाई परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती
–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 06–07–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–441/2024
सावित्री
बनाम
ममता यादव आदि
1. ममता यादव पत्नी जितेन्द्र कुमार पुत्री मंहगू यादव निवासी ग्राम भद्दीपुर तप्पा पिपरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती
–प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बहादुरपुर तप्पा पिलाई परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती
–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 06–07–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

नीलामी सूचना

न्यायालय–श्रीमान अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बस्ती जिला–बस्ती
निष्पादन वाद सं0 09/2019

श्रीमती मुनिया देवी बनाम शिवमूरत यादव

सर्वसाधारण को सूचति किया जाता है कि उपरोक्त इजरा वाद मे माननीय न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय जनपद–बस्ती के आदेशानुसार खाता संख्या 00261 खसरा संख्या 3 रकबा 0.1880 स्थित ग्राम कैथोलिया जाट तप्पा पिलाई परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती जो स्व0 शिवमूरत यादव पुत्र सियाराम के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है की नीलामी दिनांक 01–05–2026 को मौके पर 11 AM पर की जायेगी नीलामी मे उपरोक्त गाटा को लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति समय से पहुंचकर उपरोक्त गाटे की नीलामी के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।

आज्ञा से
अदालत अमीन जनपद न्यायालय बस्ती
मो0 9839606094

डिक्रीदार
श्रीमती मुनिया देवी उम्र 32 वर्ष पत्नी शिवमूरत यादव पुत्री गंगाराम यादव निवासी ग्राम कैथोलिया जाट तप्पा पिलाई परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती हाल मुकाम बेमहरी मुस्तहकम तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

निर्णीत ऋणी
शिवमूरत यादव उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र सियराम निवासी ग्राम कैथोलिया जाट तप्पा पिलाई परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com